बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

– : संकल्प :–

विषयः– **बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।**

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था।

वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा।

उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर–आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है :–

क्र0	**वर्त्तमान प्रावधान**		**35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर प्रावधान**		**अभ्युक्ति**
	आरक्षण कोटि	आरक्षण का प्रतिशत	कोटिवार महिलाओं का प्रतिशत	अनुमान्य प्रतिशत	
1	अनु0 जाति	16%	16% का 35% = 5.60%	5.60%	
2	अनु0 जन जाति	1%	1% का 35% = 0.35%	0.35%	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%	18% का 35%=6.30%	6.30%	
4	पिछड़ा वर्ग	12%	12% का 35% =4.20%	4.20%	
5.	सामान्य (गैर–आरक्षित)	50%	50% का 35%=17.50%	17.50%	3 प्रतिशत पद, जो पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण होगा।

विवेचित 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20.1.2016

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—11/आ0नी0—I—11/2015 सा0प्र0 963 पटना—15, दिनांक— 20-1-16

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

20.1.2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—11/आ0नी0—I—11/2015 सा0प्र0 963 पटना—15, दिनांक— 20-1-16

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

20.1.2016

सरकार के अपर सचिव।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 60) पटना, बुधवार, 20 जनवरी 2016

सं0 11/आ0नी0–I–11/2015 सा0प्र0—963

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

20 जनवरी 2016

विषयः—बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था।

वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा।

उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर–आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है :–

क्र0	वर्त्तमान प्रावधान		35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर प्रावधान		अभ्युक्ति
	आरक्षण कोटि	आरक्षण का प्रतिशत	कोटिवार महिलाओं का प्रतिशत	अनुमान्य प्रतिशत	
1	अनु0 जाति	16%	16% का 35% = 5.60%	5.60%	
2	अनु0 जन जाति	1%	1% का 35% = 0.35%	0.35%	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%	18% का 35%=6.30%	6.30%	
4	पिछड़ा वर्ग	12%	12% का 35% =4.20%	4.20%	
5.	सामान्य (गैर–आरक्षित)	50%	50% का 35%=17.50%	17.50%	3 प्रतिशत पद, जो पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण होगा।

विवेचित 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 60-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in